



न्यायालय राजस्व बोर्ड ग्वालियर म.प्र.

क्रि/3107/III/15 प्र0कं-

1. श्रीमती केशरबाई विधवा रामचन्द्र माली उम्र-64 वर्ष व्यवसाय-गृहकार्य
2. लाभचन्द्र पिता रामचन्द्र माली उम्र-44 वर्ष, व्यवसाय-कृषि
दोनो निवासीयान-पिपलिया मंडी तहसील मल्हारगढ जिला मन्दसौर
3. श्रीमती लताबाई पिता रामचन्द्र माली उम्र-48 वर्ष
व्यवसाय-गृहकार्य निवासी-निम्बाहेडा राज.
4. श्रीमती होड़ीबाई पिता रामचन्द्र माली उम्र-38 वर्ष
व्यवसाय-गृहकार्य निवासी-निम्बाहेडा राज.
5. श्रीमती कृष्णाबाई पिता रामचन्द्र जी माली उम्र-34 वर्ष
व्यवसाय-गृहकार्य निवासी-स्टेशन के पास नीमच — प्रार्थीगण

बनाम

1. अभयकुमार पिता धनराज पोरवाल महाजन लगभग 64 वर्ष
व्यवसाय-व्यापार निवासी-गौतम नगर कालाखेत मन्दसौर — विपक्षी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भुराजस्व संहिता
विरुद्ध निर्णय दिनांक-28/07/2015 न्यायालय अपर
आयुक्त उज्जैन प्रकरण कं.-329/11-12 अपील
जिसके द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मंदसौर
द्वारा प्रकरण कमांक-87/09-010 अपील में पारित
आदेश व न्यायालय तहसील मन्दसौर का आदेश
दिनांक 15/4/2010 प्रकरण कमांक 119अ-06
/07-08 कायम रखा गया उसके विरुद्ध।

[Handwritten Signature]

श्री. क. ड. देवी देवी
हारा आज दि. 14/9/15 को
घरगत
राजस्व बोर्ड म.प्र. ग्वालियर

K. K. Dewinedi
Adv. Genl
14/9/15

R. 3107-11/15

7.6.2016

NGR Press

आवेदन की ओर व श्री के.के.के.
द्विती आभिषेक ने उपस्थित होकर
समझौता रामा पुस्तक का प्रकलन जेडी
चकार के अनुरोध किया। अनुरोध
स्वीकार किया जाता है। प्रकलन नहीं
चकार के कारण समाप्त किया जाता
है।

अध्यक्ष

अध्यक्ष

7.6.16